

उपखण्ड अधिकारी
रूपनाद (अजमेर)

18-7-22 पत्रावली वकील पाथी द्वारा पार्थना

Singh
18/7/22

पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम C.P.C.

पेश करने पर तलब की गयी चूंकि

मूलवाद को प्रत्याह्वित करने की

अनुमति दी जा चुकी है अतः उक्त

पार्थना-पत्र स्वतः ही साबहीन होने

कारण किया जाता है

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर
मेम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनाद (अजमेर)

